न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 22/2018

उनवान

1 श्रीमति मानी पत्नि-स्व. मांगू माली, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
2 जगदीश पिता मांगू, निवासी हुरडा , तहसील हुरडा ।
3 उगमा पिता छोगा माली , निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
4 किशना पिता छोगा माली, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा

–वादीगण

बनाम

1 मोहनलाल पिता गंगाराम भाम्बी, निवासी हुरडा, तहसील हरडा ।
2 माधू पिता मोडा भाम्बी, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
3 शिवराज पिता देवी, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
4 चुन्नीलाल पिता देवीलाल बलाई, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
5 गोपाल पिता देवीलाल बलाई, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
6 गिरधारी पिता देवलाल , निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
7 पीरु पिता बालु, बलाई, निवासी हुरडा हाल मुकाम गुलाबपुरा ।
8 श्रीमति गोपाल पत्नि बालु बलाई, गुलाबपुरा, तहसील हुरडा ।
9 श्रीमति शाकरी पत्नि निजामुदीन , निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
10 मुबारिक बेग पिता निजाम बेग , निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
11 श्रीमति शहीदा पुत्री महमूद बेग उर्फ लाल बेग, नि. हुरडा, हाल मुकाम जालिया द्वितीय ।
12 सदीक मोहम्मद पिता महमुद बेग उर्फ लाल बेग, नि. हुरडा, हाल मुकाम जालिया द्वितीय ।
13 मुख्त्यार बेग पिता निजाम बेग , निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
14 रज्जाक बेग पिता निजाम बेग, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
15 तहसीलदार हुरडा, तहसील हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री दिनेश तिवाडी — वकील वादीगण ।
श्री धर्मेन्द्र आमेटा — वकील प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 4, 5, 6, 8

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

–:निर्णय:–

दिनांक– 18.06.2018

1 वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादीगण नम्बर– 01 व 02 एवं वादी संख्या– 03 एवं 04 ने वाके ग्राम

Scanned by CamScanner

हुरडा मगरा की आराजी साविक नम्बर– 737 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा जो प्रतियादीगण 09 से 14 के पिता / पति श्री निजाम बेग, श्रीलाल बेग उर्फ मेहमूद बेग पिता नानू बेग निवासी हुरडा से उक्त आराजीयात दिनांक 04.01.1968 को बिल एवंज 200/– रुपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा उक्त आराजीयात के हाल नम्बर– 1200 बने तथा ,खरीद सुशा आराजीयात के निम्न पडोस पूर्व देवपुरा जाने का रास्ता , पश्चिम विक्रयकर्ता की स्वंय की आराजी नम्बर– 740, उतर रामा पिता छोगा माली की अराजीयात, दक्षिण बिरजा चमार ।

2 उक्त खरीद शुदा आराजीयात नम्बर– 737 को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम कराने बाबत निवेदन किया परन्तु वादीगण संख्या– 01 व 02 के पिता / पति एवं प्रतिवादी नम्बर– 03 व 04 के नाम दर्ज नही कि गयी तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा साविक के आराजी नम्बर– 1200 कायम करते हुये प्रतिवादी नम्बर 01 के पिता श्री गंगाराम के नाम गलत एवं अवैध रुप से दर्ज कर दी जब वादीगण उक्त खरीद शुदा विक्रय पत्र में उंकित पडोसान मध्य आराजीयात पर खरीद के समय से ही काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है ।

3 वादीगण की उक्त आराजीयात को गलत एवं अवैध रुप से सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा प्रतिवादी नम्बर– 1 के पिता के नाम दर्ज कर देने से पुनः वादीगण के नाम दर्ज करने बाबत वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 श्रीमति मानी वगैरहा बनाम महमूद आदि जिसके वाद पत्र संख्या– 127/77 रेवेन्यू पेश किया जिसको श्रीमान् द्वारा दिनांक 27.08.1984 को वाद पत्र को डिक्री करते हुये निर्णिय पारित क़िया कि आराजी नम्बर– 737 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर– 01 एवं 02 के खाते में दर्ज हो एवं उक्त आराजीयात नम्बर– 737 के नये नम्बर– 1108 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा बनते हो तो प्रतिवादी नम्बर– 04 से 08 देबी, माधु पिता मोडा एवं हीरा, मोहन पिता गंगाराम के खाते से हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज कर दी जावें ।

4 उक्त निर्णय एवं डिक्री कि पालना करने बाबत तहसीलदार हुरडा को आदेश प्रदान किया गया तथा तहसीलदार हुरडा द्वारा निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु पटवारी हल्का को आदेश प्रदान किया तथा पटवारी हल्का हुरडा मगरा द्वारा पूर्ण जॉच किये बिना ही प्रतिवादी नम्बर– 01 से 08 की पुश्तैनी आराजीयात जो कि उक्त आराजी नम्बर– 737 से करीब डेढ किलोमीटर दूर है तथा आराजी नम्बर– 737 के हाल नम्बर– 1200 है उसके उपरान्त भी आराजी नम्बर– 1108 से हटाकर वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई जबकि आराजी नम्बर– 737 के हांल नम्बर– 1200 बने उसको जो हाल में प्रतिवादी नम्बर– एक के नाम दर्ज है । उसको वादीगण के नाम दर्ज करनी थी तथा वादीगण के नाम 1108 को गलत रुप से पटवारी हल्का द्वारा वादीगण के नाम दर्ज कर दी जिस बाबत वादीगण द्वारा पुनः आराजी नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा को अपने नाम दर्ज कराने बाबत श्रीमान् के समक्ष श्रीमति मानी बनाम मोहन आदि के नाम से

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वाद पत्र पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर– 114/2009 रेवेन्यू कोर्ट मे पेश किया परन्तु उक्त वादपत्र में कानूनी खामीया रह जाने से उक्त वादपत्र को पुनः नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति लेते हुये विड्रो किया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा गलत रुप से वादीगण के नाम आराजी नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा के बजाय 1108 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा दर्ज करने की जानकारी अभी हाल ही दिनांक 30.07.2017 को हुयी जिसमें उक्त वादपत्र पेश है । जिासे वादीगण आराजी नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है तथा 1108 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा जो प्रतिवादी संया– 01 से लगायत 08 के नाम से हटाया जाकर वादीगण के नाम कर दी जो पुनः प्रतिवादी नम्बर'– 01 से 08 के नाम दर्ज किया जाने की घोषणा कराने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी नम्बर– 1108 को पुनः प्रतिवादी नम्बर– मोहन लाल के नाम आराजी नम्बर– 1200 दर्ज हो गयी जिस बबात वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर– 01 को हाल ही दिनांक 05.08.2017 को उक्त आराजीयात को पुनः वादीगण के नाम् दर्ज कराने बाबत निवेदन किया परन्तु कोई सन्तोषपूर्ण जवाब नही दिया जिससे उक्त वादपत्र पेश करने की नोबत पेश हुयी ।

5 अन्त में अंकित किया कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नम्बर– 01 मोहन के विरुद्ध घोषणात्मक डिक्री इस आशय की सादीर फरमायी जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात साबिक नम्बर– 737 के हाल नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा बनते है जिसको प्रतिवादी नम्बर– 01 के खाते से हटाया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज करने एवं गलत एवं अवैध रुप से प्रतिवादी नम्बर– 01 से 08 के नाम की आराजीयात नम्बर– 1108 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा जो प्रतिवादी नम्बर– 15 द्वारा गलत रुप से उनके खाते से काटते हुये वादीगण के नाम दर्ज कर दी जिसको पुनः प्रतिवादी नम्बर– 01 से 08 के नाम दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री सादीर फरमावें जावें ।

6 प्रस्तुत बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे । सम्मन बाद सर्विस प्राप्त नही होने से वादीगण को पुनः सम्मन पेश करने हेतु निर्देशित किया जाकर प्रकरण वास्ते तलबी में नियत किया गया ।

7 तत्पश्चात पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई। वादी श्रीमति मानी , जगदीश, उगमा, किशना व उनके अधिवक्ता श्री दिनेश तिवाडी उपस्थित हुये । प्रतिवादी मोहनलाल, माधु, चुन्नीलाल, गोपाल, गिरधारी, , गोपाली व उनके अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र आमेटा उपस्थित हुये । वकील वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 09 से 14 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रतिवादी संख्या– 09 से 14 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई ।

8 उपस्थित उभयपक्ष के द्वारा एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादीगण ने महमूद बेग एवं निजाम बेग वैगराह से

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर– 737 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि खरीद की थी । जिसके सेटलमेन्ट के बाद नये नम्बर–1200 बने थे । वकील उभयपक्ष के द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादीगण ने पूर्व में एक वाद उपखण्ड न्यायालयं में प्रस्तुत किया गया था , जिसके मुकदमा नम्बर– 127/77 होकर दिनांक 27.08.1984 को निर्णय पारित किया गया था। जिसमें यह निर्णय पारित हुआ कि आराजी नम्बर– 737 के नये नम्बर– 1200 बने हो और प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया हो तो पुनः वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें किन्तु पटवारी हल्का के द्वारा डिक्री पालना करते समय आराजी नम्बर– 1200 के बजाय प्रतिवादीगण 01 से 08 की पुश्तैनी आराजीयात में से प्रत्येक का रकबा कम करते हुये डिक्री पालना कर दी । जबकि आराजी नम्बर– 737 के नये नम्बर– 1200 बने जो प्रतिवादी संख्या– 1 के पिता गंगाराम के नाम दर्ज था तथा हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–1 मोहनलाल के नाम दर्ज है । अन्त में कथन किया कि हाल आराजी नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी संख्या– 01 के खाते से हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करवाया जावें तथा आराजी नम्बर– 1108 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या– 01 से 08 के नाम दर्ज है ।

9 उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा उनको पढकर सूनाया गया , जिसे सुन समझकर उस पर किये गये हस्ताक्षर व अगूठा निशानी उनकी होना स्वीकार करने से तथा उपस्थित वादीगण की पहचान श्री दिनेश तिवाडी एडवोकेट व उपस्थिति प्रतिवादीगण की पहचान श्री धमेन्द्र आमेटा एडवोकेट के द्वारा की जाने से राजीनामा तस्तीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

10 मैंने उभयपक्ष की बहस को सूना । उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

11 पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2047–2050 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार आराजी नम्बर– 1108/1, 1342, 1344/1811 किता 3 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा भूमि देबी पिता मोडा बलाई, साकिन देह के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 742 दिनांक 26.09.1990 मुताबिक डिक्री आदेश मुकदमा नम्बर– 124/77 उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के निर्णय के अनुसार आराजी नम्बर– 1108/1 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि देबी पिता मोडा बलाई, के बजाय मुस्मात मानी बेवा मांगू , उगमा पिता छोगा, किशना पिता छोगा माली साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड किया जाना प्रकट आया है ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

12 यहाँ वादीगण का कथन है कि उनके द्वारा पूर्व में एक वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 27.08.1984 को यह निर्णय पारित किया गया था कि आराजी नम्बर– 737 के नये नम्बर– 1200 बने हो जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया हो तो पुनः वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश हुये थे । अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा प्रकरण संख्या– 124/77 आदेश

Scanned by CamScanner

व डिकी दिनांक 27.08.1984 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावाई गयी । जिसका अवलोकन किया गया , जिस अनुसार मुस्मात मानी , उगमा , किशना माली के द्वारा महमूद बेग, निजाम बेग, मुसलमान , नारायण, देबी, बालु, हीरा, मोहन बलाई के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा में प्रस्तुत किया गया था । जो प्रकरण संख्या– 124/77 पर पंजीवृद्ध किया जाकर दिनांक 27.08.1984 को निर्णित किया जाना प्रकट आया है । उक्त निर्णय में न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि "—— ग्राम हुरडा मगरा की साबिक आराजी नम्बर– 737 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा यदि प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के खातेदारी हक से दर्ज थी, तथा इसके नये नम्बर–1108 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा बने हो तो ग्राम हुरडा मगरा की हाल आराजी नम्बर– 1108 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या– 3, 4, 5, 6, 7 के नाम से हटाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है ——"

13 चुंकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड सम्वत् 1980 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार आराजी नम्बर– 737 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि शमशेर बेग वल्द हसन खॉ मुसलमान साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2022 के अनुसार साबिक नम्बर– 737 के नये नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा बनाया जाना तथा नानू बेग पिता हसन बेग से गंगाराम पिता मोडा बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबन्दी सम्वत् 2071 –2074 मौजा हुरडा मगरा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा भूमि मोहन पिता गंगाराम 3/4 , देउ बेवा गंगाराम 1/4, बलाई साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना, तथा आराजी नम्बर– 1108/1 , 1108/2, 1108/3, 1108/4 किता 4 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि मानी बेवा मांगू , उगमा पिता छोगा, किशना पिता छोगा, माली के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

14 उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा ने प्रकरण संख्या– 124/77 निर्णय दिनांक 27.08.1984 में तो यह निर्णय पारित किया गया था कि ग्राम हुरडा मगरा की साबिक आराजी नम्बर– 737 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा यदि प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के खातेदारी हक से दर्ज हो और उसके नये नंम्बर– 1108 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा बने हो तो आराजी नम्बर– 1108 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या– 3 4 5 6 7 के नाम से हटाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है । चुंकि पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2022 के अनुसार तो साबिक आराजी नम्बर– 737 के नये नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा बनाये गये है । हाल आराजी नम्बर– 1108 तो साबिक आराजी नम्बर– 784, 785 से बनाया गया है । उसके उपरान्त भी पटवारी हल्का ने जो उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण संख्या– 124/77 व ईजराय प्रकरण संख्या– 01/89 की पालना नामान्तकरण संख्या– 742 दिनांक 26.09.1990 से

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

की जाकर जो इन्द्राज किया गया है वह गलत रुप से किया जाना स्पष्ट हुआ है ।

15 चूँकि हाल आराजी नम्बर– 1200 के खातेदार प्रतिवादी संख्या– 1 मोहनलाल भाम्बी तथा आराजी नम्बर– 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4 किता 4 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा के खातेदार मानी बेवा मांगू , उगमा पिता छोगा, किशना पिता छोगा माली में आज न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर आराजी नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या– 1 के खाते से हटाकर वादीगण के नाम पर तथा आराजी नम्बर– 1108 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या– 1 से 8 के नाम दर्ज करवाया जाना जाहिर किया है । तद्नुसार लोक अदालत की भावना से उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाकर मौजा हुरडा मगरा की आराजी नम्बर– 1200 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा भूमि के लिये मानी पत्नि मांगू , जगदीश पिता मांगू, उगमा , किशना पिता छोगा माली तथा आराजी नम्बर– 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4 किता 4 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि को मोहन पिता गंगाराम , माधु पिता मोडा, शिवराज , चुन्नीलाल, गोपाल, गिरधारी, पिता देवीलाल बलाई, पीउ पिता बालु बलाई, गोपाल पत्नि बालु बलाई , को खातेदार घोषित किया जाता है । तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावें । डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर ,करें । निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner